

क्रमांक	2103	रसीद दस्तावेज बगैरह	62
महल	2252	मुकाम	
किस्म	दस्तावेज की तफसीलवारी व कांमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो सुहरबद लिफाफा लिफाफा हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इयायत		नवाह फीस (आग) दाखल शुदा
1	2	3	
	कवलजीतसिंह		
	व्योपना पत्र	125	
तारीख	29 DEC 2012		उप-पंजीयक

र न्यायिक
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
INDIA
NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

W 510876

मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम २००० की धारा २ के अंतर्गत
घोषणा-पत्र

यह कि, घोषणाकर्ता सिमरन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर (1) श्री कवलजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया निवासी 19-ए, प्रेम नगर माणिकबाग रोड़, इंदौर म0प्र0 (2) श्री गुरदीपसिंह भाटिया पिता श्री हरबंससिंह भाटिया निवासी 119, रानीबाग खण्डवा रोड़, इंदौर म0प्र0 (जिन्हें इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से घोषणाकर्ता भूमिस्वामी के नाते से संबोधित किया गया है) घोषणाकर्ता भूमिस्वामी एतद् द्वारा यह कथन करते हैं कि :-

(1) यह कि, घोषणाकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखंड ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर यहाँ विकसीत कॉलोनी "न्यू रानीबाग" यहा स्थित भूखंड क्रमांक ए-6 है । सदर भूखंड घोषणाकर्ता ने श्रीमती किरण पति श्री रामलालजी परमार तर्फे आम मुखत्यार श्री राकेश पिता श्री लक्ष्मणदासजी चावला से रजि. विक्रय-पत्र क्रमांक 13/510 दिनांक 07-06-2012 के जरिये क्रय किया हैं । सदर अविरत.....2.

(Handwritten signature)
Tishala

2832
19 OCT 2012


100-100/ अमरजीव

~~सिमरन वर्मा, जे.प्लेस आ.लि. लड 514.
कुलजीत सिंह आदि। जी० अमरजीव सिंह आदि।
जवाली 19.10.12 जम नगर देवी 60 रु
दुहे अंतर्गत सिद्धांत~~

अमरजीव सिंह
रजि. नं० 10038
3. ए. जे. रोड, इन्दौर
फि. 576, उपानगर एकसदेशन, इन्दौर

मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क
नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क
पंचायत अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क 100/-
उपकर अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क
अधिक स्टाम्प
योग 2/00/-

उप-जिला, इन्दौर - 2



कुलजीत सिंह आदि अमरजीव सिंह

के द्वारा जिला इन्दौर - 2,
जिला इन्दौर के उप-जिला के
कार्यालय में तारीख 29/12/12
को म.प./म.प. 2/00
प्रस्तुत किया गया।

उप-जिला, इन्दौर - 2

Handwritten signature

(5) यह कि उपरोक्त भवन की इकाईया तथा सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं निम्नानुसार होगी :-

(अ) यह कि, तल मंजिल पर पार्किंग रहेगी एवं 2 प्रकोष्ठ (जी-1 एवं जी-2), प्रथम मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 101 से 105), एवं द्वितीय मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 201 से 205), तृतीय मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 301 से 305) एवं टेरेस फ्लोर पर 1 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1), है ।

प्रत्येक इकाई में विद्युत संयोजन एवं नल हेतु प्वाइंट उपलब्ध होंगे इन इकाईयों का वर्णन इसके नीचे दिया गया है । सभी इकाई के माप में सभी बाहरी दिवाले तथा आदि ब्लाक विभाजक दिवाल सम्मिलित है ।

प्रत्येक इकाई में सुपर बिल्टप निम्नानुसार रहेगा :-

टाइप क्रमांक 1 तल मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक जी-1	885 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 2 तल मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक जी-2	845 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 3 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 101	875 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 4 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 102	875 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 5 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 103	850 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 6 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 104	850 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 7 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 105	500 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 8 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 201	875 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 9 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 202	875 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 10 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 203	850 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 11 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 204	850 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 12 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 205	500 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 13 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 301	875 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 14 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 302	875 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 15 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 303	850 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 16 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 304	850 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 17 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 305	500 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 18 टेरेस फ्लोर का प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1	1200 वर्गफीट + ओपन टेरेस
टाइप क्रमांक 19 टेरेस फ्लोर का प्रकोष्ठ क्रमांक पी-2	1200 वर्गफीट + ओपन टेरेस

कुल 19 प्रकोष्ठ

(ब) सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएँ :-

(क) इस विलेख के पहले पेरा में उल्लेखित भूमि-खण्ड

(ख) संपूर्ण भवन में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं :-

- (1) भवन की तल मंजिल एवं छत पर पानी की टंकी
- (2) तल मंजिल पर बोरिंग रहेगा जिसका उपयोग सभी प्रकोष्ठधारी कर सकेंगे जिसमें किसी का भी एकाधिकार नहीं रहेगा तथा भविष्य में उसका रखरखाव भी इनके द्वारा मिलकर वहन किया जावेगा ।
- (3) पार्किंग स्पेस - तल मंजिल पर है ।

यह कि, प्रत्येक प्रकोष्ठ के संबंध सम्मिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत किसी भी रूप में घोषणा की तारीख को भारग्रस्त नहीं है ।

(6) यह कि, सहस्वामित्व भवन (कंडोमेनियम) जिसमें इस विलेख के पहले तथा पांचवे पेरा में वर्णित भवन तथा भूमि-खण्ड सम्मिलित है, का प्रशासन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगा ।

(7) यह कि उपर दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्वामित्व की एक योजना तैयार की गई है ताकि वे सभी तलों को आवासीय इकाइयों को स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने योग्य व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में हस्तांतरित तथा रजिस्ट्रीकृत किया जा सकें, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का भवन का सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा तक जाने का अपना अलग निर्गम द्वार है, प्रत्येक आवासीय इकाइयों के स्वामियों का उसकी अपनी संबंधित आवासीय इकाई पर अन्य तथा विशिष्ट, अधिकार, हक्क और हित है तथा इसके अतिरिक्त सम्मिलित क्षेत्रों एवं सुविधाओं में विनिर्दिष्ट अविभाजित हित है ।

(8) यह कि, सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं अविभाजित रहेगी और कोई भी स्वामी उनके बंटवारे या विभाजन के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

(9) यह कि, चरण क्रमांक 5 में अलग अलग प्रकोष्ठ का सुपर बिल्टप एरिया दर्शाया गया है परन्तु मौके पर निर्माण कार्य के समय सुपर बिल्टप क्षेत्रफल कम या ज्यादा होता है तो प्रकोष्ठ धारियों को रजिस्ट्रीयां उस क्षेत्रफल के अंतर्गत सुपर बिल्टप अथवा बिल्टप की कर दी जावेगी ।

(10) यह कि, सामान्य तथा या निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित उस आवासीय इकाई से पृथक नहीं किया जावेगा जिससे की यह अनुलग्न हो और ऐसा हित, भले ही वह किसी भी हस्तांतरण पत्र या अन्य लिखित अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित या वर्णित न हो उस आवासीय इकाई को हस्तांतरित या भारग्रस्त समझा जावेगा ।

(11) यह कि, यदि संपत्ति पूर्णतः या सारभूत रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जावें तो संपत्ति की मरम्मत पूर्ण निर्माण या व्ययन समस्त प्रकोष्ठधारियों को मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में उपबंधित रूप में किया जावेगा ।

(12) यह कि, उपरोक्त प्रकोष्ठ भवन के समस्त स्वामी मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्था का गठन करेंगे । तथा ऐसी संस्था का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के यहां करवायेंगे ।

(13) यह कि, यह घोषणा पत्र सदर भवन के भू-स्वामियों ने सदर भवन को प्रकोष्ठ धारियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर यथा युक्ति युक्त सावधानी पूर्वक तरीके से निष्पादित कर दिया है फिर यदि सदर भवन के संबंध में कोई आवश्यक तथ्य जोड़ने होंगे या विलोपित करना होंगे तो घोषणाकर्ता आवश्यकतानुसार संशोधन लेख या अनुपूरक लेख निष्पादित कर सकेंगे ।

यह विलेख घोषणाकर्ता ने अच्छी तरफ पढ़कर समझकर, पूर्ण होश हवास में निष्पादित कर दिया है ताकि सनद रहें व वक्त जरूरत काम आवें । इति ।

इंदौर, दिनांक :

साक्षीगण :- 29/12/20

हस्ताक्षर - घोषणाकर्ता

1. सक्षी सुभाष चंद्र शर्मा
 नाम : सुभाष चंद्र शर्मा
 पता : 432 विष्णुपुरा

1. [Signature]

2. सक्षी सुमीत सिंह शर्मा
 नाम : सुमीत सिंह
 पता : 9A पुनवत

2. [Signature]

गवाह Farida

① संपीप फार्मिडल S/O नरेश चण्ड
फार्मिडल
M-210 Khandi Local Bank Encl.

② [Signature]
नाम भागीरथ शर्मा
पता सुदरान शर्मा
गृह नं० 10/1 पोल (मिने)
सुदरान शर्मा

कार्यालय : ग्राम पंचायत लिम्बोदी

जनपद पंचायत इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 5/33

५

दिनांक .1.6.10.31.15.

प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत के पास श्री/श्रीमती किरण परमार

पति/पति श्री रामलाल परमार निवासी 51 गाखशिदे, रवरगो का आवेदन-पत्र

आने पर यह प्रमाणित किया जाता है कि

आवेदक का स्वयं का निजी आवासीय भूखण्ड क्र.....A-6.....

.....कॉलोनी..... कॉलोनी ग्राम लिम्बोदी में स्थित है।

उक्त भूखण्ड पर आवेदक आवासीय भवन का निर्माण करना चाहता है।

निम्न प्रतिबंधों के साथ मानचित्र स्वीकृत किया जाता है।

- (1) समस्त शासकीय नियमों/उपनियमों का पालन करें। (2) निर्माण करते समय 30% खुली भूमि छोड़े एवं वृक्षारोपण करें।
 - (3) निर्माण करते समय रोड से 15 फिट अन्दर ही पक्का निर्माण कार्य करें। (4) भवन की ऊँचाई 10/12 मि. से अधिक न रखें।
- इस बाबद का प्रमाण पत्र (15) ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है।

सरपंच
ग्राम पंचायत लिम्बोदी.
जनपद पंचायत, इन्दौर

नोट: यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी के अनुसार जारी किया गया है। असत्य जानकारी देने एवं प्रमाण पत्र का अनुचित उपयोग करने का उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुतकर्ता का होगा।